

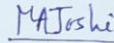
2) Language & communication Skills-2019-2024

हिंदी भाषा और संचार कौशल (Language & communication Skills):

1. स्पष्टता और प्रभावशीलता: विद्यार्थी सीखते हैं कि कैसे स्पष्ट और प्रभावी ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करें।
2. व्याकरण और वर्तनी की समझ: विद्यार्थी हिंदी व्याकरण और वर्तनी की मूल बातें सीखते हैं।
3. शब्दावली और अर्थ की समझ: विद्यार्थी नए शब्दों का अर्थ और उपयोग सीखते हैं।
4. वाक्य रचना और शैली की समझ: विद्यार्थी वाक्य रचना और शैली की मूल बातें सीखते हैं।
5. सक्रिय सुनना और प्रतिक्रिया: विद्यार्थी ध्यान से सुनें और प्रतिक्रिया देने की कला सिखते हैं।
6. नॉन-वर्बलसंचार की समझ: विद्यार्थी नॉन-वर्बल संचार की मूल बातें सीखते हैं।
7. आत्मविश्वास और प्रभावशीलता: विद्यार्थी अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में आत्मविश्वास महसूस करते हैं।
8. संवाद कौशल: विद्यार्थी सीखते हैं कि कैसे प्रभावी ढंग से संवाद करें।
9. समूह कार्य और सहयोग: विद्यार्थी समूह कार्य करने और सहयोग करने की कला का विकास होता है।
10. प्रस्तुति कौशल: विद्यार्थी भाषण, लेखन, वाचन काव्य लेखन, कथालेखन, आदि प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं।




PRINCIPAL
Government of Maharashtra's
Ismail Yusuf College of
Arts, Science & Commerce,
Jogeshwari (East), Mumbai-400 060


Dr. (Smt.) Madhuri Anil Joshi
Head Of Dept. (Hindi)
Government of Maharashtra
Ismail Yusuf College, Jogeshwari, Mumbai-60.

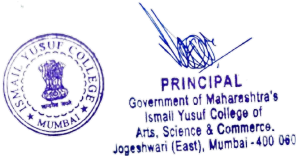
हिंदी भाषा और संचार कौशल outcome

हिंदी भाषा में प्रभावी ढंग से संवाद करने, समझने और व्यक्त करने की क्षमता:

1. लेखन कौशल: हिंदी में स्पष्ट और प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता।
2. बोलने की क्षमता: हिंदी में स्पष्ट और प्रभावी ढंग से बोलने की क्षमता।
3. पढ़ने की क्षमता: हिंदी में समझने और व्याख्या करने की क्षमता।
4. सुनने की क्षमता: हिंदी में ध्यान से सुनने और समझने की क्षमता।
5. संचार कौशल: हिंदी में प्रभावी ढंग से संवाद करने, समझने और व्यक्त करने की क्षमता।

- स्पष्टता और प्रभावशीलता
- व्याकरण और वर्तनी की समझ
- शब्दावली और अर्थ की समझ
- वाक्य रचना और शैली की समझ
- सक्रिय सुनना और प्रतिक्रिया
- नॉन-वर्बल संचार की समझ

हिंदी भाषा और संचार कौशल का महत्व है क्योंकि यह हमें प्रभावी ढंग से संवाद करने, अपने विचारों को व्यक्त करने और दूसरों को समझने में मदद करता है।



MA Joshi
Dr.(Smt.) Madhuri Anil Joshi
Head Of Dept., (Hindi)
Government of Maharashtra
Ismail Yusuf College, Jogeshwari, Mumbai-60.



Government of Maharashtra
Ismail Yusuf College
of Arts, Science and Commerce
Jogeshwari (East), Mumbai -60.



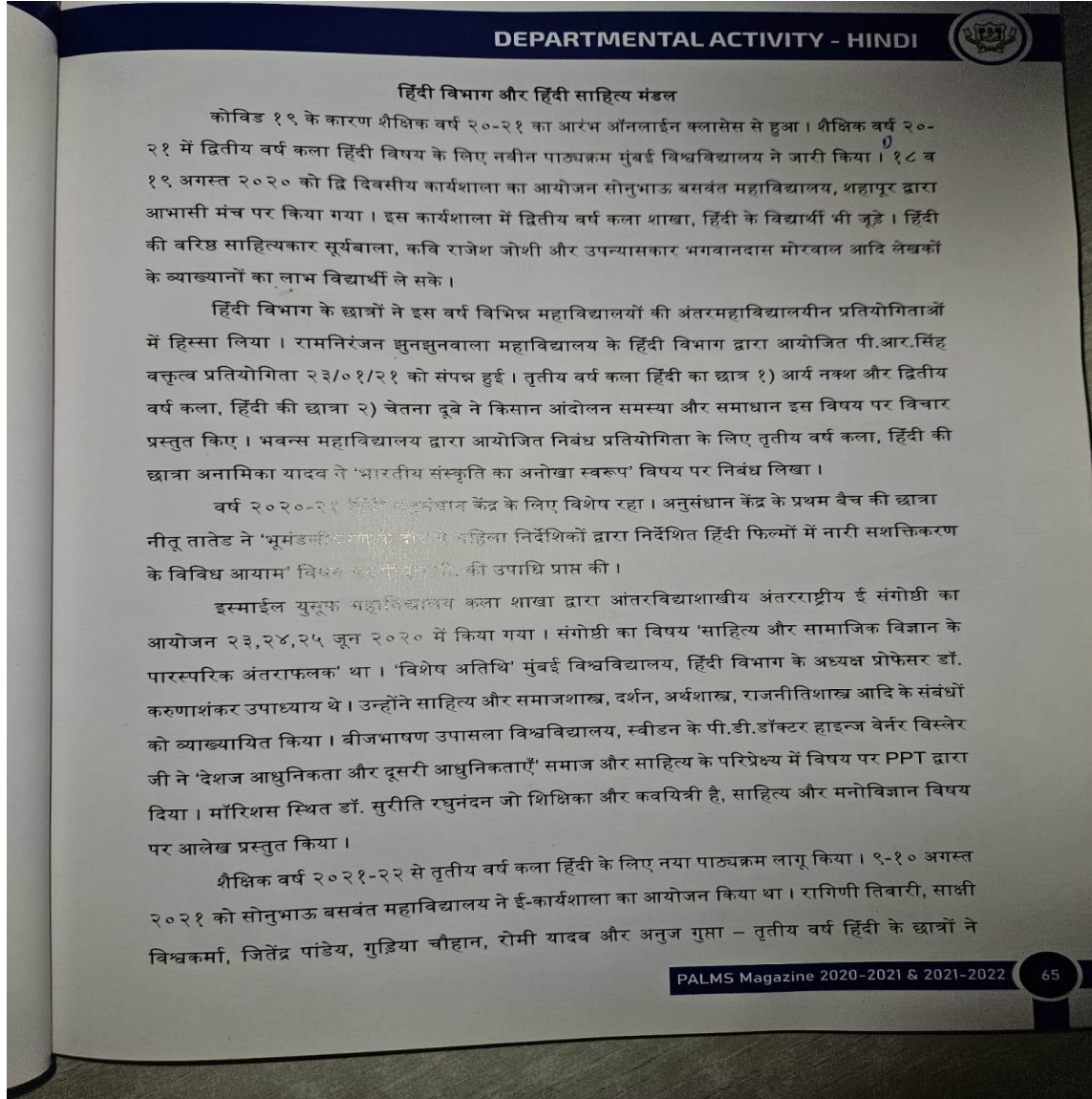
PALMS MAGAZINE 2020 - 2021 & 2021 - 2022

दिनांक -२३-०१-२१

गतिविधि का नाम - पी .आर सिंह भाषण प्रतियोगिता

१)वि. नाम -आर्य नक्श (तृतीय वर्ष कला) २)वि.नाम चेतना -दुबे (द्वितीय वर्ष कला)

Report:



PRINCIPAL
Government of Maharashtra's
Ismail Yusuf College of
Arts, Science & Commerce,
Jogeshwari (East), Mumbai - 400 060



DEPARTMENTAL ACTIVITY - HINDI

उपस्थिति दर्ज करके ई-प्रमाणपत्र प्राप्त किए। ई-कार्यशाला में सहभागी होने से विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के व्याख्यान सुनने का मौका मिला।

२१ फरवरी २०२२ को हिंदी साहित्य अकादमी और सोनुभाऊ बसवंत कॉलेज की तरफ से 'वैश्विक परिदृश्य और हिंदी' विषय पर आंतरराष्ट्रीय हिंदी वेबिनार का आयोजन किया था। तृतीय वर्ष हिंदी के छात्र जितेंद्र पांडेय, गुड्डिया चौहान, रोमी यादव आदि ने उपस्थित रहकर ई-प्रमाणपत्र प्राप्त किए। ऑनलाईन संगोष्ठियों के कारण छात्रों के सोच के दायरे व्यापक हुए हैं।

विभागप्रमुख

माधुरी जोशी




PRINCIPAL
Government of Maharashtra's
Ismail Yusuf College of
Arts, Science & Commerce,
Jogeshwari (East), Mumbai - 400 060

MA Joshi

Dr.(Smt.) Madhuri Anil Joshi
Head Of Dept., (Hindi)
Government of Maharashtra
Ismail Yusuf College, Jogeshwari, Mumbai-60.



किसान...दुबे



किसान आंदोलन समस्या और समाधान

भारत विश्व का दूसरे नंबर का कृषि प्रधान देश है। क्योंकि भारत में आज भी 62% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रही है। कृषि भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान करती है। भारत की आर्थिक स्थिति में कृषि का एवं इसे सशक्त बनाने में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो किसान अन्नदाता के रूप में हमारे भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसी की आवश्यकता का ख्याल हमारी सरकार क्यों नहीं रख पा रही है? भारत सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिल क्या है? किसान क्यों इन बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? क्यों बड़ी संख्या में किसान भारत की राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं? आइए इसके बारे में जानें।

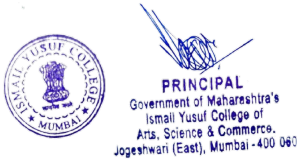
पहला कानून जिसका नाम 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020' है। यह कानून निकट भविष्य में सरकारी कृषि मंडियों की प्रासंगिकता को शून्य कर देगा, सरकार निजी क्षेत्र को बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी जवाबदेही के कृषि उपज के क्रय विक्रय की खुली छूट दे रही है। अनाज वितरण का अधिकार निजी कंपनी को सौंप रही है। सोचिए कि अगर निकट भविष्य में कभी कोरोना से ही विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो उस दौरान सरकार खुद लोगों को बुनियादी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र से खरीदारी करेगी। वही, आज वह इसे अपने बड़े एफसीआई गोदामों से लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। साथ ही सरकारी कृषि मंडियों के समानांतर आसान शर्तों पर खड़ा किए जाने वाला नया बाजार इन की प्रासंगिकता को खत्म कर देगा और जैसे ही सरकारी मंडियों की प्रासंगिकता खत्म होगी, क्योंकि मंडियां एमएसपी को सुनिश्चित करती हैं।

दूसरा कानून 'कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020' है। जिसकी अधिक चर्चा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद में समाधान के मौजूदा प्रावधानों के संदर्भ में की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इस कानून की वजह से देश में भूमिहीन किसानों के एक बहुत बड़े वर्ग के जीवन पर गहरा संकट आने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 26.3 करोड़ परिवार खेती किसानों के कार्य में लगे हुए हैं। इसमें से महज 11.9 करोड़ किसानों के पास खुद की जमीन है। जबकि 14.4 करोड़ किसान भूमिहीन हैं। भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या 'बटाई' पर खेती करती है। भूमि के मालिक से कुल पैदावार की आधी फसल पर बटाई बोई जाती है। ग्रामीण इलाकों का यह अपना एक प्रचलित खेती करने का तरीका है। इस नए कानून के जरिए पूंजी पतियों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए खुली छूट दी जा रही है। अब सोचने का विषय यह है कि गांव का कोई भूमिहीन किसान इन बड़े निजी क्षेत्र की फॉर्म से मुकाबला कैसे करेगा? एक बड़ी कंपनी बड़ी आसानी से किसी किसान से उसकी भूमि 5 साल की अवधि के लिए एकमुश्त एडवांस पर ले सकती है। लेकिन गांव का एक भूमिहीन किसान यह करने में असमर्थ रहेगा। ऊपर से भारत के किसानों का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित है जो कि कानूनी अनुबंध करने में खुद को असहज पाएगा, ऐसी परिस्थितियों में भूमिहीन किसानों का पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। ऊपर से बड़ी कंपनियां मशीनों के लिए खेती का कार्य करेंगे ना कि मजदूर के जरिए। इसलिए बहुत अधिक रोजगार भी उत्पन्न नहीं होने जा रहे हैं। यह कानून देश के 14 करोड़ भूमिहीन किसानों के भविष्य को प्रभावित करने जा रहा है।

तीसरा कानून 'आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020' है। यह कानून आने वाले निकट भविष्य में खाद्य पदार्थों की महंगाई का दरस्तावेज है। इस कानून के जरिए निजी क्षेत्र को असीमित भंडारण की छूट दी जा रही है। खेती उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी। सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहाँ है? यह जमाखोरी और कालाबाजारी को कानूनी मान्यता देने जैसा है। वही, इस कानून में स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार और सीमित भंडारण के प्रति तभी कार्यवाही कर सकती है जब वस्तुओं की मूल्य वृद्धि बाजार में दोगुनी होगी। एक तरह से देखें तो यह कानून महंगाई बढ़ाने की भी खुली छूट दे रहा है। जो कि मध्यम और निम्न वर्ग के लिए एक नुकसान दायक कानून है। समय रहते सरकार को चाहिए कि इन तीनों कानूनों का उचित हल निकाल लिया जाए। वजह है कि यह आंदोलन भूमिहीन किसानों के रास्ते होते हुए मध्य एवं निम्न आय वर्ग को भी जोड़ेगा। आने वाले भविष्य में जब यह दोनों वर्ग भी खुद को इन कानून के जरिए ठगा महसूस करेंगे तो आंदोलन की रफ्तार और तेज हो जाएगी।

तीनों ही कृषि कानून किसान और आम लोगों को बहुत फायदा पहुंचाने नहीं जा रहे हैं, ना तो कोई सामान्य किसान इतना आर्थिक समृद्धि है कि वह बड़े गोदाम बना कर अपनी फसलों का भंडारण करेगा और ना ही भूमिहीन किसान इतने मजबूत है कि वह एक लंबी अवधि के लिए खेती का कानूनी अनुबंध कर पाएगा। तो फिर यह सब क्यों कर रहेगा? उत्तर है पूंजी से भरे पड़े लोग। सरकार को तीनों कानून वापस लेने पर पड़े हैं ये किसानों की जीत है या परिवर्तन का विरोध यह समय तय करेगा।

चेतना दुबे
एस. वाय. बी. ए.



PRINCIPAL
Government of Maharashtra's
Ismail Yusuf College of
Arts, Science & Commerce,
Jogeshwari (East), Mumbai - 400 060

Dr. (Smt.) Madhuri Anil Joshi
Head Of Dept., (Hindi)
Government of Maharashtra
Ismail Yusuf College, Jogeshwari, Mumbai-60.